न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 06/2022

1 लालचन्द पुत्र नाथा (मृतक)।
1/1 श्रीमती नीम्बो देवी पत्नी लालचन्द।
1/2 राजपाल पुत्र लालचन्द।
1/3 विद्या कुमारी पुत्री लालचन्द।
1/4 रेशमा राव पुत्री लालचन्द।
1/5 ममता महेश्वरी पुत्री लालचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जयसिंह पुत्र गणपत जाति जाट निवासी कासनी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट
विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 24.11.2021 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सूरजगढ़
उनवानी लालचन्द बनाम जयसिंह प्रार्थना पत्र धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा
नम्बर 105/2019

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री कमलेश, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 12.12.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 105/2019 में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर ग्राम कासनी की भूमि खसरा नम्बर 779/244 में से 30 फिट चौडे रास्ते की मांग की। विचारण न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना, नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विधि अनुसार धारा 251ए के प्रकरणों में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी लागु नही होती है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.एल.डब्ल्यू 2012(1) आर.जे. पेज 17 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट का आवेदन प्रस्तुत होने के उपरान्त विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज किया है। विधि अनुसार धारा 251 के प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागु नही होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर